रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 906] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 19, 2002/आश्विन 27, 1924
No. 906] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 19, 2002/ASVINA 27, 1924

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 2002

का.आ. 1100(अ).—केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. 114(अ), तारीख 19 फरवरी, 1991 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा तटीय विस्तारों को तटीय विनियमन परिक्षेत्र (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीआरजेड कहा गया है) घोषित किया था और उक्त परिक्षेत्र में उद्योगों की स्थापना और विस्तार, संक्रियाओं और प्रक्रियाओं पर निर्बंधन अधिरोपित किए थे;

और केन्द्रीय सरकार यह आवश्यक समझती है कि उक्त अधिसूचना के विद्यमान उपबंधों को सुमेल और विस्तृत बनाया जाए;

और केन्द्रीय सरकार ने तटीय विनियमन परिक्षेत्रों में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों द्वारा विद्युत उत्पादन से संबंधित परियोजनाओं, तटीय विनियमन परिक्षेत्रों में विलवणीकरण संयंत्रों की स्थापना करने, अधिसूचित पत्तनों के तटीय विनियमन परिक्षेत्र में अपरिसंकटमय स्थौरा का जैसे—खाद्य तेल, उर्वरक और खाद्यान्नों के भंडारण की अपेक्षा पर विचार कर लिया है;

और केन्द्रीय सरकार ने लक्षदीप और अंदमान तथा निकोबार द्वीप में तटीय विनियमन परिक्षेत्र के क्षेत्रों में हवाई पट्टी और सहबद्ध प्रसुविधाओं के संनिर्माण के लिए अपेक्षा पर भी विचार कर लिया है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में उक्त अधिसूचना को संशोधित करना आवश्यक और समीचीन है;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) में यह उपबंध है ''कि उपनियम (3) में किसी बात के होते हुए भी, जब कभी केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो वह उक्त नियमों के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्त कर सकेगी'';

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना को संशोधित करने के लिए नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्त करना लोकहित में है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्वोक्त अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

1. पैरा 2 के उपपैरा (i) के अंत में निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु (क) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन करने और विलवणीकरण संयंत्रों की स्थापना के लिए सुविधाएं उक्त परिक्षेत्र के भीतर उन क्षेत्रों में अनुज्ञात की जा सकेंगी जो सीआरजेड-I(i)में वर्गीकृत नहीं हैं; और (ख) उक्त परिक्षेत्र के उन क्षेत्रों में जो सीआरजेड-I (i) में वर्गीकृत नहीं हैं हवाई पट्टी का संनिर्माण लक्षदीप और अंदमान तथा निकोबार द्वीप में भी भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अनुज्ञात किया जा सकेगा"।

2. पैरा 3 के उप पैरा 2 में,—

(i) मद (i) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(ik) अनुदत्त मंजूरी, संनिर्माण या प्रचालन आरंभ होने के लिए पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।";

(ii) मद (iiग) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(iiच) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों द्वारा विद्युत उत्पादन, विलवणीकरण संयंत्रों और मौसम रडारों के लिए सुविधाएं;

(iiछ) लक्षदीप और अंदमान तथा निकोबार द्वीप में हवाई पट्टी और सहबद्ध सुविधाएं।"।

3. उपाबंध-I में, पैरा 6 के उपपैरा (2) में,—

(i) सीआरजेड-I शीर्षक के अधीन,

(क) "और (ग) सुविधाएं" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर "(ग) सुविधाएं" कोष्ठक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे;

(ख) "सीआरजेड-I के अधीन अनुज्ञेय क्रियाकलाप" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"और (घ) चक्रवात गति को मानीटर करने के लिए मौसम रडार और भारतीय मौसम विभाग द्वारा भविष्यवाणी।";

(ग) "उपपैरा (ii)" शब्दों, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर निम्नलिखित शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"उपपैरा (i) और (ii)";

(घ) "और (घ) लवण" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर "(घ) लवण" कोष्ठक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे;

(ङ) "समुद्री जल के वाष्पन" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ङ) विलवणीकरण संयंत्र, और

(च) अपरिसंकटमय स्थौरा अर्थात् खाद्य तेल, उरवर्क और खाद्य पदार्थों का अधिसूचित पत्तन के भीतर भंडारण"।

(ii) सीआरजेड- II शीर्षक के अधीन, मद (i) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(ik) इस अधिसूचना से संलग्न उपाबंध-III में विनिर्दिष्ट पेट्रोलियम उत्पादों और द्रवीकृत प्राकृतिक गैस की प्राप्ति और भंडारण के लिए सुविधाएं तथा उपपैरा 2(ii) में यथावर्णित शर्तों के अध्यधीन द्रवीकृत प्राकृतिक गैस के पुन:गैसीकरण के लिए सुविधाएं।

(ikh) विलवणीकरण संयंत्र;

(ig) अधिसूचित पत्तनों में अपरिसंकटमय स्थौरा अर्थात् खाद्य तेल, उर्वरक और खाद्य पदार्थों का भंडारण।

(ig) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों द्वारा विद्युत उत्पादन के लिए सुविधाएं।

(ich) लक्षदीप और अंदमान तथा निकोबार द्वीप में हवाई पट्टी और सहबद्ध सुविधाओं का संनिर्माण।"

(iii) सीआरजेड- III शीर्षक के अधीन,—

(क) खंड (i) में, "समुद्र जल से नमक बनाना" शब्दों के पश्चात्

"इस अधिसूचना से संलग्न उपाबंध-III में विनिर्दिष्ट पेट्रोलियम उत्पादों और द्रवीकृत प्राकृतिक गैस की प्राप्ति और भण्डारण के लिए सुविधाएं तथा उपपैरा 2(ii) में यथा वर्णित शर्तों के अध्यधीन द्रवीकृत प्राकृतिक गैस के पुन:गैसीकरण के लिए सुविधाएं, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों द्वारा विद्युत उत्पादन, विलवणीकरण संयंत्र, लक्षदीप और अंदमान तथा निकोबार द्वीप में मौसमी रडारों और हवाई पट्टियों और सहबद्ध सुविधाओं के संनिर्माण के लिए सुविधाएं" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

(ख) खंड (ii) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(iiक) इस अधिसूचना से संलग्न उपाबंध-III में विनिर्दिष्ट पेट्रोलियम उत्पादों और द्रवीकृत प्राकृतिक गैस की प्राप्ति और भंडारण के लिए सुविधाएं तथा उप-पैरा 2(ii) में यथावर्णित शर्तों के अध्यधीन द्रवीकृत प्राकृतिक गैस के पुनःगैसीकरण के लिए सुविधाएं;

(iiख) अधिसूचित पत्तनों में अपरिसंकटमय स्थौरा अर्थात् खाद्य तेल, उर्वरक और खाद्य पदार्थों का भंडारण;

(iiग) विलवणीकरण संयंत्र;

(iiघ) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों द्वारा विद्युत उत्पादन के लिए सुविधाएं;

(iiङ) लक्षद्वीप तथा अंदमान और निकोबार द्वीप में हवाई पट्टी और सहबद्ध सुविधाओं का संनिर्माण।"

(iv) सीआरजेड— शीर्षक के अधीन,

(क) अन्दमान और निकोबार द्वीप उपशीर्ष के अधीन,—

खंड (i) में, "उच्च ज्वार रेखा शब्दों और अंकों के पश्चात्—

"अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों द्वारा विद्युत उत्पादन, विलवणीकरण संयंत्र, लक्षद्वीप तथा अंदमान और निकोबार द्वीप में पौसनी रखारों और हवाई पट्टियों और सहबद्ध सुविधाओं के संनिर्माण के लिए सुविधाओं के सिवाय" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(ख) लक्षद्वीप और छोटे द्वीप समूह उपशीर्ष के अधीन खंड (i) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:

"(iक) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों द्वारा विद्युत उत्पादन के लिए सुविधाएं;

(iख) विलवणीकरण संयंत्र;

(iग) हवाई पट्टी और सहबद्ध सुविधाओं का संनिर्माण;"।

[फा. सं. एच-11011/6/97-[ए-III]

डा. वी. राजगोपालन, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—प्रधान अधिसूचना दिनांक 19 फरवरी, 1991 की संख्या का.आ. 114(अ) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी और बाद में इसे निम्नलिखित के तहत संशोधित किया गया था :—

(1) का.आ. 595(अ) दिनांक 18 अगस्त, 1994

(2) का.आ. 73(अ) दिनांक 31 जनवरी, 1997

(3) का.आ. 494(अ) दिनांक 9 जुलाई, 1997

(4) का.आ. 334(अ) दिनांक 20 अप्रैल, 1998

(5) का.आ. 873(अ) दिनांक 30 सितम्बर, 1998

(6) का.आ. 1122(अ) दिनांक 29 दिसम्बर, 1998

(7) का.आ. 998(अ) दिनांक 29 सितम्बर, 1999

(8) का.आ. 730(अ) दिनांक 4 अगस्त, 2000

(9) का.आ. 900(अ) दिनांक 29 सितम्बर, 2000

(10) का.आ. 329(अ) दिनांक 12 अप्रैल, 2001

(11) का.आ. 988(अ) दिनांक 3 अक्तूबर, 2001

(12) का.आ. 550(अ) दिनांक 21 मई, 2002